पटना में दिनांक—13 जनवरी, 2023 शुक्रवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

पथ निर्माण विभाग

1. राज्य के 3 जिलों के 3 लेवल क्रॉसिंग (2 Spl, 160 एवं 188A) के बदले पहुँच पथ सहित आर० ओ० बी० के निर्माण हेतु कुल ₹22914.74329 लाख (दो सौ उनतीस करोड़ चौदह लाख चौहत्तर हजार तीन सौ उनतीस) में से राज्यांश के रूप में (भू—अर्जन सहित) ₹13948.386 लाख (एक सौ उनतालीस करोड़ अड़तालीस लाख अड़तीस हजार छः सौ) के अनुमानित लागत (यथा संलग्न परिशिष्ट—I) पर योजनावार पृथक—पृथक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **1. स्वीकृत**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

2. औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारूण अंचल के मौजा—नावाडीह एवं पौथु के विभिन्न खाता एवं खेसराओं की कुल रकबा—1.117 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट—I) सशुल्क आधार पर कुल— 16,96,950/— (सोलह लाख छियानवे हजार नौ सौ पचास) रू0 के भुगतान पर डी0 एफ0 सी0 सी0 आई0 एल0 परियोजना निर्माण हेतु डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, भारत सरकार, (रेल मंत्रालय) को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। — **2. स्वीकृत**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

3. औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारूण अंचल के मौजा—बारूण एवं पिपरा के विभिन्न खाता एवं खेसराओं की कुल रकबा— 2. 3575 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट—I) सशुल्क आधार पर कुल— 1,19,03,063.00 (एक करोड़ उन्नीस लाख तीन हजार तिरसठ) रू0 के भुगतान पर डी0 एफ0 सी0 सी0 आई0 एल0 परियोजना निर्माण हेतु डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, भारत सरकार, (रेल मंत्रालय) को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। — **3. स्वीकृत**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4. गया जिलान्तर्गत बाराचट्टी अंचल के मौजा—विशुनपुर, थाना सं0—289, खाता सं0—02, खेसरा सं0—62, रकबा—5.47 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार की भूमि सशुल्क आधार पर कुल—7,78,27,717/— (सात करोड़ अठत्तर लाख सताईस हजार सात सौ सतरह) रूपए मात्र राशि भुगतान पर 132/33 के0 वी0 ग्रीड उपकेन्द्र निर्माण हेतु बिहार स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। — **4. स्वीकृत**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5. दरभंगा जिलान्तर्गत अंचल बेनीपुर, मौजा–गणेश बनौल बलनी, थाना सं0–137, खाता सं0–2016, खेसरा सं0–7596, 7599, 7600, 7605, रकबा क्रमशः 3.15, 0.63, 0.17, 6.10 एकड़, कुल रकबा–10.05 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि दरभंगा नगर निगम, दरभंगा के ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापना एवं Land Fill Site निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। — **5. स्वीकृत**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6. औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज अंचल के विभिन्न मौजा व थाना के विभिन्न खाता एवं खेसराओं की कुल रकबा– 0. 5849 एकड़ बकास्त मालिक भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) सशुल्क आधार पर कुल–7,75,980 (सात लाख पचहत्तर हजार नौ सौ अस्सी) रू0 के भुगतान पर डी0 एफ0 सी0 सी0 आई0 एल0 परियोजना निर्माण हेतु डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, भारत सरकार, (रेल मंत्रालय) को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। — **6. स्वीकृत**

शिक्षा विभाग

7. राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जन सहयोग से भूमि एवं भवन प्राप्त करने एवं नामाकरण की प्रक्रिया की स्वीकृति। — **7. स्वीकृत**

शिक्षा विभाग

8. बी0एन0 मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा में कुल 18 विषयों में स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना, पटना विश्वविद्यालय, पटना में बायो–टेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना तथा पटना विश्वविद्यालय, पटना अन्तर्गत संचालित पटना विधि महाविद्यालय के लिए सहायक प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक/प्राध्यापक के 148 (एक सौ अड़तालीस) पद तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों के 41 (इकतालीस) पद अर्थात कुल 189 (एक सौ नवासी) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **8. स्वीकृत**

शिक्षा विभाग

9. राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के प्रोन्नति के लिए कैरियर एडभांसमेंट स्कीम 2018 के परिनियम प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **9. स्वीकृत**

सामान्य प्रशासन विभाग

10. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय स्थापना हेतु 05 (पाँच) नये वाहन चालकों के पद का सृजन करने के संबंध में। — **10. स्वीकृत**

सामान्य प्रशासन विभाग

11. बिहार जाति आधारित गणना, 2022 के लिए गणना प्रपत्रों के मुद्रण के कार्य हेतु पश्चिम बंगाल, राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, 11 बी०टी० रोड, कोलकाता–700056 को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131ञ(ड़) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने के संबंध में। **11. स्वीकृत**

वाणिज्य–कर विभाग

12. राष्ट्रीय स्तर पर 01 जुलाई 2017 से माल एवं सेवा कर लागू होने के उपरांत वाणिज्य–कर विभाग में कर संग्रहण में वृद्धि एवं अंकेक्षण संबंधी मामलों के सहज एवं सुगम निष्पादन हेतु सेवानिवृत अनुभवी पदाधिकारियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षण विशेषज्ञ का एक पद, कर विशेषज्ञ का दो पद एवं अंकेक्षण विशेषज्ञ का एक पद कुल चार पद सृजित किये जाने के संबंध में। **12. स्वीकृत**

उद्योग विभाग

13. मेसर्स पटेल एग्री इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 (यूनिट–2), अरवान, परवलपुर, बेन, नालंदा को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। **13. स्वीकृत**

उद्योग विभाग

14. मेसर्स पटेल एग्री इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 (यूनिट–3), अरवान, बेन, नालंदा को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। **14. स्वीकृत**

उद्योग विभाग

15. श्री बिहार सोलर प्लान्ट, यूनिट–2, जिला–बांका को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। **15. स्वीकृत**

उद्योग विभाग

16. श्री बिहार सोलर प्रोजेक्ट प्रा0 लि0, जिला–बांका को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। **16. स्वीकृत**

उद्योग विभाग

17. मेसर्स माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल्स प्रा0 लि0, मुजफ्फरपुर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। — **17. स्वीकृत**

उद्योग विभाग

18. मेसर्स आयोग एग्रो प्रा0 लि0, वैशाली को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। — **18. स्वीकृत**

उद्योग विभाग

19. मेसर्स न्यू वे होम्स प्रा0 लि0, बेगुसराय को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। — **19. स्वीकृत**

उद्योग विभाग

20. मेसर्स रिगल रिर्सोसेज लिमिटेड, भटगाँव, गलगलिया, किशनगंज को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। — **20. स्वीकृत**

उद्योग विभाग

21. (A) वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य के अन्तर्गत पटना में मौजा–जैतिया, थाना नं0–79, अंचल–फतुहा, में प्रस्तावित मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) को विकसित करने हेतु 100.00 (एक सौ) एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के लिए उस पर होने वाले व्यय 168.9310250 करोड़ (एक सौ अड़सठ करोड़ तिरानवे लाख दस हजार दो सौ पचास) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा (B) मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकपार्क के कार्यान्वयन एजेन्सी के बीच सहमति ज्ञापन (Memorandum of understanding) पर सहमति के संबंध में। — **21. स्वीकृत**

जल संसाधन विभाग

22. जल संसाधन विभाग के कार्यों में तकनीकी परामर्श प्रदान करने निमित्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी (वेतन स्तर–14/13ए) हेतु तकनीकी परामर्शी का एक गैर संवर्गीय पद दो वर्षों के लिए अस्थायी रूप से सृजित करते हुये श्री अंजनी कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख (कार्यकारी प्रभार), मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को तकनीकी परामर्शी जल संसाधन विभाग, बिहार के गैर संवर्गीय पद पर संविदा के आधार पर स्वीकृत्योपरान्त विभागीय आदेश निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए नियुक्त करने के संबंध में। — **22. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

23. राज्यान्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में विगत पाँच वर्षों से अधिक अवधि से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सा पदाधिकारियों को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **23. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

24. डा0 दीपक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सहरसा को दिनांक–19.06.2015 से लगातर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **24. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

25. डा0 दीपक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, त्रिवेणीगंज, सुपौल को दिनांक–06.06.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **25. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

26. डा0 अमीर रेहान लारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोपालगंज के विरूद्ध दिनांक–29.04.2016 से लगातार अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **26. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

27. डा0 निशीथ कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दरौली, सिवान को दिनांक–14.06.2006 से 20.06.2013 तक अपने कर्त्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **27. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

28. डा0 राहुल कुमार मंगलम, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, नवादा को दिनांक–04.05.2017 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **28. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

29. डा0 नम्रता सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, अरवल को दिनांक–20.07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के अरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **29. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

30. डा0 दिव्या किरण, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जहानाबाद को दिनांक–01.07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **30. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

31. डा0 (श्रीमती) रंजना कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मधुबनी को दिनांक–20.07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोपा में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **31. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

32. डा0 सुरैया तरन्नुम, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सुपौल को दिनांक–11.07.2017 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **32. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

33. डा0 श्रवण ठाकुर, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूर्यगढ़ा, लखीसराय के विरूद्ध लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **33. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

34. डा0 शशि भूषण सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, गोपालगंज को दिनांक–06.11.2015 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **34. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

35. डा0 सत्येन्द्र कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवटसा, मुजफ्फरपुर को वर्ष–2002 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **35. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

36. डा0 शिवलोक नारायण अम्बेदकर, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, घोषी, जहानाबाद को दिनांक–02.08.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **36. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

37. डा0 प्रवीण कुमार साहु, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, घोषी, जहानाबाद को दिनांक–24.07.2008 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **37. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

38. डा० मनोज कुमार गहलौत, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, शेखपुरा को दिनांक–02.07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **38. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

39. डा0 चन्दन शेखर, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोविन्दपुर, नवादा को दिनांक–11.07.2017 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **39. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

40. डा0 आलोक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, खगड़िया को दिनांक–08.07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **40. स्वीकृत**

नगर विकास एवं आवास विभाग

41. राज्य में In-Situ Treatment of Sludge of septic tanks of Community/Mobile Tiolet and Sewage through Bioremediation for Treatment of 173 Nallas Joining the rivers in the State of Bihar योजना के कार्यान्वयन हेतु संभावित व्यय रू० 1,61,62,87,300/–(GST एवं TPI सहित) (एक सौ एकसठ करोड़ बासठ लाख सत्तासी हजार तीन सौ रू० मात्र) का राज्य योजना मद से किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। **41. स्वीकृत**